संख्याः 799/53/XXXIV/सू0प्रौ0/2008

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
इरला चैक,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग देहरादून दिनांक 22 मई, 2008

विषय **वित्तीय वर्ष 2008–09 में राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के दूर संचार तथा इलैक्ट्रोनिक्स उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 11700000.00 (रू0 एक करोड़ सत्रह लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0 8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3. उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0 द्वारा उक्त धनराशि का व्यय प्रत्येक प्रकरण में शासन की पूर्व स्वीकृति/दिशा–निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

5. परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0 द्वारा यह धनराशि केवल उक्त योजना हेतु उपयोग की जायेगी एवं उसे किसी अन्य योजनाओं/कार्यों में व्यय नहीं किया जायेगा। इस संबंध में वित्तीय नियमों व समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय

हस्तपुस्तिकाओं के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं साथ ही भौतिक प्रगति भी शासन को संसूचित की जाएगी।

6. आवंटित धनराशि के विपरीत कार्य/मदवार वित्तीय व भौतिक प्रगति के साथ–साथ उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 31.3.2009 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस स्थिति में अवशेष धनराशि का समर्पण शासन को किया जायेगा।

7. रू0 5.00 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यो पर लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची पर आगणन गठित कर उस पर टी0ए0सी0 का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शासन की स्वीकृति से ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

8. सेवायें एवं सामग्री क्रय के पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जायेगा।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–23 के लेखा शीर्षक–4859–दूर संचार तथा इलैक्ट्रोनिक्स उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, 02–इलैक्ट्रोनिक्स–आयोजनागत, 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत संलग्न में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 550/XXXVII(2)/2008, दिनांक 17 मई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकःयथोक्त

भवदीय

(सौरभ जैन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 787/53/XXXIV/सू0प्रौ0/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अनुभाग–2
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सौरभ जैन)
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः /53/XXXIV/सू0प्रौ0/2008 का संलग्नक

(धनराशि रू0 हजार में)

03 राज्य में सूचना प्रोद्यौगिकी का सुदृढ़ीकरण–00		
1	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5000
2	19–विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	1200
3	24–वृहत निमार्ण कार्य	—
4	25–लघु निमार्ण कार्य	500
5	44–प्रशिक्षण व्यय	5000
	योग	**11700**

(रू0 एक करोड़ सत्रह लाख मात्र)

आज्ञा से

(सौरभ जैन)
अपर सचिव